न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. : 23/2009
जीसीएमएस नम्बर : 2012/00039

अपीलार्थी :–

नरेश कच्छवाहा पुत्र श्री महेन्द्रसिंह जी, जाति माली, निवासी–सिन्धीयां की गली, सूरसागर जोधपुर

बनाम्

प्रत्यर्थीगण :–

1. अरूणा पत्नी स्वर्गीय श्री इन्द्रसिंह जी कच्छवाहा, जाति माली, निवासी–उपरली गली सुभाष चौक, सूरसागर, जोधपुर
2. राजश्री पत्नी स्वर्गीय श्री गगनदीप जी, जाति माली, निवासी–उपरली गली सुभाष चौक सूरसागर जोधपुर
3. कुनाल पुत्र स्वर्गीय श्री गगनदीप जी, जाति माली, उम्र 5 वर्ष, नाबालिग उपरली गली सुभाष चौक सूरसागर जोधपुर
4. चिराग पुत्र स्वर्गीय श्री गगनदीप जी, जाति माली उम्र 3 वर्ष, नाबालिग उपरली गली सुभाष चौक सूरसागर जोधपुर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये कूदरती वलिया माता राजश्री पत्नी स्व. श्री गगनदीप जी, जाति माली, निवासी–उपरली गली सुभाष चौक, सूरसागर जोधपुर
5. खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

उपस्थिति :–

1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अक्षय कुमार दवे अधिवक्ता प्रत्यर्थी 01 से 2

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::– दिनांक : 20/4/26

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि खसरा नं. 793/5 ग्राम बागा की भूमि में से 100 गुणा 200 फीट की आखली प्रति हजार वर्गफुट का किराया 60/– रूपये सालाना से प्रत्यर्थीच के पूर्वज इन्द्रसिह को दिनांक 20–12–1974 को किराये पर दी गई थी। जो आखली खान सं. 323 पर तहसीलदार

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जोधपुर द्वारा किराये पर दी गई जिसके आवंटन के लिए अपीलार्थी द्वारा खनिज विभाग में आवेदन किया गया, किन्तु आखली आवंटन होने के कारण अपीलार्थी के हक में खान का आवंटन नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश गलत गैर कानूनी व विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। तहसीलदार को सरकारी भूमि किराये पर देने का अधिकार नही होने के कारण ऐसा आदेश क्षेत्राधिकार विहिन व प्रारम्भतः प्रभाव शून्य मात्र है । वादग्रस्त भूमि का क्षेत्र खनिज विभाग का है जिस पर खान संख्या 323 स्थित है। खनिज विभाग की भूमि बाबत आवंटन करने का तहसीलदार को अधिकार नहीं है केवल मात्र 60/– रूपये सालाना किराया भी गलत है। उक्त आदेश राज्य सरकार व खनिज विभाग के हितों के भी पूर्णतया विपरीत है। इन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 है, अपीलार्थी द्वारा जानकारी के आधार पर अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत करने का कथन करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 20–12–1974 की पालना में इन्द्रसिंह को आखली दिये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा फिदूसर में खान सं. 323 के आवंटन हेतु खनिज विभाग में आवेदन पत्र दिनांक 17–2–2009 को प्रस्तुत किया गया जिस पर खनिज अभियन्ता द्वारा दिनांक 16–4–2009 को तहसीलदार द्वारा आखली आवंटन होने के आधार पर खान संख्या 323 के आवंटन में असमर्थता जाहिर की गई। जिस पर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनांक 01–06–2009 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिस कारण विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि जिस स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आखली किराये पर दी गई है वह स्थान फिदूसर की खान संख्या 323 है अपीलार्थी द्वारा आवेदन करने के उपरान्त 500/– रूपये की राशि भी जमा करवा दी है। जिस कारण अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है। इस कारण अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन भी किया गया।

प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दर्ज करवाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए खान सं0 322 व 323 के स्थान पर वादग्रस्त आखली स्थित होने के तथ्य से इन्कार किया गया, वादग्रस्त स्थल से वर्ष 1975 में ही हाईटेशन वायर निकल चुके थे, व मुख्य

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सडक से चिपते हुए यह आखली स्थित होने से खान के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया था तो उसे अब आवंटित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आधार ही नही था जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने बदनियतिपूर्वक षडयन्त्र के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थीगण विधिवत रूप से मौके पर काबिज है। नियमानुसार व विधि अनुसार वादग्रस्त आखली को खान के रूप में आवंटित किया ही नही जा सकता है। अन्त में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को मौजूदा अपील प्रस्तुत करने की कोई लोक्सस्टाडाई नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि जिस आखली को अपीलार्थी खान सं. 322 व 323 बता रहे है वह मुख्य सडक से चिपते हुए आई हुई है। ऐसी स्थिति में सडक से चिपते हुए नियमानुसार कोई खान न तो अस्तित्व में रह सकती है न उसमें कोई खनन कार्य किया जा सकता है। वास्तव में खान सं. 322 व 323 के उपर से हाईटेशन लाईन निकल रही है इस कारण सन् 1975 में ही इन आखलियों को खान के रूप में अस्तित्व में नही माना एवं खान के अस्तित्व को निरस्त कर दिया। नियमानुसार सडक से चिपते हुए 25 मीटर क्षेत्र में खान आवंटित नही की जा सकती है। अपीलार्थी ने मात्र बनावटी रूप से 16–4–2009 को अभियन्ता द्वारा उसे खान आवंटित न होने से संबंधी जानकारी देने के तथ्य बताने की बात लिखी है जो सर्वथा गलत है। वास्तव में यह भूमि कभी भी न तो खान के रूप में अस्तित्व में रही है न ही इसे खान के रूप में उपयेाग व उपभोग किया जा सकता। केवल मात्र रंजिशवश अपील प्रस्तुत की गई है। जिस आखली पर प्रत्यर्थी वर्षो से काबिज है व अन्य आखलियां भी इस क्षेत्र में प्रभावी है खनिज अभियन्ता का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही है अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों की आखलिया भी इस क्षेत्र में आई हुई है अपीलार्थी हमेशा वर्षो से प्रत्यर्थीगण को कार्य करते देखते आ रहे है जिसे आखली की शुरू से ही जानकारी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खनन विभाग की है, जिस बाबत आखली आवंटन का तहसीलदार को किसी प्रकार का कोई अधिकार भी नही है। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन रूप से आखली आंवटित की गई है जो आदेश प्रारंभतः प्रभाव शुन्य मात्र है, किराया भी गलत तय किया गया है। अपीलार्थी द्वारा खान सं. 323 के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिस कारण अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है दिनांक 16.4.09 को खनिज अभियन्ता द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाने पर अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

01–06–2009 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिस विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दिनांक 27–2–2018 को अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिये जाने के कारण इस प्रकरण को आगे जारी नही रखने का निवेदन किया गया। जिस कारण इस न्यायालय द्वारा मौजूदा अपील निस्तारित कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा अपील को पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 24–3–2022 को हस्तगत अपील पुनः दर्ज करते हुए बहस हेतु नियत की गई अपील पुनः दर्ज किये जाने के पश्चात प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुए जिस कारण अपीलार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

हमने प्रस्तुत अपील में धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब, वकुलाय बहस पर मनन किया व उभय पक्षकारान के तर्को के समर्थन में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का निस्तारण करने से पूर्व धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अवगत कराये गये कारण सद्भाविक होने से उक्त धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र राज्यहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–1974 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–74 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत ही नही की गई है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किये जाने पर अवलोकन किया गया, जिस रिकोर्ड में भी दिनांक 20–12–1974 को किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना दर्शित नही होता है। जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अपील का विधिवत रूप से प्रस्तुतिकरण ही नहीं हुआ है। दिनांक 16–4–09 को खनिज अभियन्ता द्वारा अपीलार्थी को आखली आवंटन की सूचना उपलब्ध करवाई गई हो ऐसा कोई दस्तावेज भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा खान संख्या 323 के वादग्रस्त स्थल पर स्थित होने एवं उक्त खान के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।ऐसी स्थिति में प्रथमतः अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से पीडित एवं प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध करने में असफल रहा है। लिहाजा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है लेकिन इस प्रकरण से न्यायालय के यह ध्यान में आया है कि ग्राम फिदूसर के खसरा संख्या 793/5 पर वर्ष 1975 में तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आखली आवंटन किया गया चूंकि आखली की भूमि राज्य सरकार की भूमि है तथा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

यह न्यायालय राज्य भूमि के संरक्षण हेतु उत्तरदायी है। अतः इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए आखली आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है, तहसीलदार जोधपुर नियमानुसार कानून सम्मत कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 20/4/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर (राज०)